

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-99/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक-

डा० ज्योति कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विभूतिपुर, समस्तीपुर के दिनांक-19.02.2026 से 17.08.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन दूसरा सतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-2/एल०-99/2026-2261(2) पटना, दिनांक 18/9/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वे०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी समस्तीपुर /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विभूतिपुर, समस्तीपुर /कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/ डा० ज्योति कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विभूतिपुर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. 18/9/26
सरकार के उप सचिव।